E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. जायदाद का प्रकार- व्यवसायिक

2. वार्ड परगना- हरीपर्वत सदर तहसील आगरा

3. मौहल्ला/ग्राम- अंजना सेन्ट्रल, मौजा लश्करपुर, एम.जी. रोड, **आगरा**

4. सर्किल रेट- व्यवसायिक निर्माण ऑफिस ..../-रुपये प्रति वर्गमी.

5. सम्पत्ति का विवरण- ऑफिस सं. ....

6. मापन की इकाई- वर्गमी.

7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- .... वर्गमी.

8. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)- भगवान टाकीज से हरीपर्वत चौराहे (एम.जी. रोड) के बीच

9. अन्य विवरण (9 मी0 रोड/कॉर्नर इत्यादि)- नहीं

10. सम्पत्ति का प्रकारः- ऑफिस

11. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल- .... वर्गमी.

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

12. कुल आच्छादित क्षेत्रफल- .... वर्गमी.

13. स्थिति-फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य- फिनिश्ड

14. पेड़ों का मूल्यांकन- नहीं

15. बोरिंग/कुंआ/अन्य- नहीं

16. निर्मित क्षेत्रफल- .... वर्गमी.

17. निर्माण का वर्ष- नहीं

18. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं

19. प्रतिफल की धनराशि- ..../-रुपये।

20. सरकारी कीमत- ..../-रुपये।

21. चौहद्दी-

पूरब :- ....

पश्चिम :- ....

उत्तर :- ....

दक्षिण :- ....

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण- प्रोम्प्ट प्लानर्स एल एल पी (PAN- AAUFP6271G) एलएलपी आईडेन्टीफिकेशन नं. AAK-2037 दिनांक 3.8.2017 पता- पी.एल. पैलेस कॉमर्शियल, द्वितीय तल, 12/2/4, संजय प्लेस, आगरा द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री महाराज सिंह पुत्र श्री भगवती प्रसाद नि. 30/215, संजय प्लेस, आगरा

व्यवसाय- नौकरी

PH- 9412895491

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण- श्री .... पुत्र .... नि. ....

व्यवसाय- व्यापार

PAN- BRIPG0615H

PH- 8477912064

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

जय श्री दाऊजी महाराज

विक्रय विलेख (Sale Deed)

विक्रय की धनराशि	- ..../-रुपये।
विक्रय की सरकारी धनराशि	- ..../-रुपये।
देय स्टाम्प	- ..../-रुपये।
सर्किल रेट व्यवसायिक निर्माण ऑफिस	- ..../-रुपये प्रति वर्गमी.
स्थान	- अंजना सेन्ट्रल, मौजा लश्करपुर, एम.जी. रोड, वार्ड हरीपर्वत तहसील व जिला आगरा

(उ.प्र. स्टाम्प अधिनियम वर्ष 1899 की धारा 2(10) सपठित अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 23(ए) के अनुसार स्टाम्पित।)

(विक्रेता व क्रेता का विवरण)

हम कि प्रोम्प्ट प्लानर्स एल एल पी (PAN- AAUFP6271G) एलएलपी आईडेन्टीफिकेशन नं. AAK-2037 दिनांक 3.8.2017 पता- पी.एल. पैलेस कॉमर्शियल, द्वितीय तल, 12/2/4, संजय प्लेस, आगरा द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री महाराज सिंह पुत्र श्री भगवती प्रसाद नि. 30/215, संजय प्लेस, आगरा

........विक्रेता/प्रथम पक्ष।

एवं

श्री .... पुत्र श्री ....नि. ....आगरा

........क्रेता/द्वितीय पक्ष।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

(ऑफिस का विवरण)

जो कि ऑफिस सं. .... स्थित भूतल जो जायदाद सं. 3/2डी खसरा सं. 513 के भाग पर निर्मित है। पैमाईशी मुताबिक नक्शा क्षेत्रफल 1700 वर्गफुट यानिकि 157.93 वर्गमी. जिसको संलग्न नक्शे में स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है। स्थित अंजना सेन्ट्रल, मौजा लश्करपुर, एम.जी. रोड, वार्ड हरीपर्वत तहसील व जिला आगरा कि जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं-

पूरब :- ....

पश्चिम :- ....

उत्तर :- ....

दक्षिण :- ....

उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27 (एक) का उल्लंघन नहीं किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति को बहुमंजिली इमारत के **भूतल** पर विक्रय किया जा रहा है जिसका **प्रथम तल** विक्रय से अलग है तथा .... की दीवार शामिलाती है। उपरोक्त योजना का मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा स्वीकृत है, जिसकी फाइल सं. ADA/BP/21-22/0704 व परमिट सं. Multiplex/01859/ADA/BP/21-22/0704/13102021 दिनांक 6 May 2022 है। उपरोक्त सम्पत्ति भगवान टाकीज से हरीपर्वत चौराहे (एम.जी. रोड) के बीच स्थित है।

यह कि जिलाधिकारी आगरा द्वारा निर्धारित व्यवसायिक निर्माण दर ऑफिस . .../-रुपये प्रति वर्गमी. उपनिबन्धक प्रथम की सर्किल दर सूची के प्रारूप-3 के पृष्ठ सं. 83 के क्रम सं. 40 पर अंकित है।

उपरोक्त ऑफिस को वास्तविक धनराशि ..../-रुपये में विक्रय किया गया है तथा स्टाम्प वास्ते रजिस्ट्री जिलाधिकारी आगरा द्वारा निर्धारित व्यवसायिक निर्माण दर आफिस ..../-रुपये प्रति वर्गमी. की दर से कुल सरकारी ध नराशि ..../-रुपये पर 7 प्रतिशत की दर से नियमानुसार धनराशि .. ../- रुपये का स्टाम्प अदा किया गया है जो कि सर्वाधिक है जिसमें सरासर फायदा राजस्व का है।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP.................................

(प्रथम पक्ष कम्पनी के स्वामित्व का विवरण)

विदित हो कि उपरोक्त ऑफिस की जायदाद को कम्पनी विक्रेता प्रथम पक्ष ने दिनांक 7.3.2018 ई. को मैसर्स आरा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय अंजना सिनेमा, एम.जी. रोड, आगरा द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व प्रतिनिधि व निदेशक श्री अनिरुद्ध नारायन अग्रवाल पुत्र स्व. श्री प्रताप नारायन अग्रवाल नि. 8-ए/एम-803-बी, लॉयर्स कॉलौनी, आगरा से द्वारा पंजीकृत विलेख के क्रय की थी जिसका विक्रय विलेख कार्यालय सबरजिस्ट्रार महोदय प्रथम, आगरा के यहां पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 10232 के पृष्ठ सं. 155 से 188 में क्रम सं. 694 पर दिनांक 7.3.2018 ई. को विधिवत पंजीकृत हुआ है, के क्रय की थी तथा क्रय करने के पश्चात कम्पनी विक्रेता प्रथम पक्ष ने उपरोक्त जायदाद को ध्वस्त (Demolish) कर दिया और उसके पश्चात उपरोक्त जायदाद का आगरा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया और सम्बन्धित विभागों से आवश्यक अनुज्ञायें व अनुमति प्राप्त कर उक्त योजना में बहुमंजिली इमारत का अलग-अलग क्षेत्रफलों में दुकान/आफिस/गोदाम/मल्टीप्लैक्स आदि का निर्माण कराया बाद निर्माण के कम्पनी विक्रेता प्रथम पक्ष उपरोक्त दुकान/आफिस/गोदाम/मल्टीप्लैक्स आदि की पूर्णरूपेण मालिक कब्जेदार व स्वामी चली आती है और केवल कम्पनी विक्रेता प्रथम पक्ष के उपरोक्त दुकान/आफिस/गोदाम/मल्टीप्लैक्स आदि में अन्य कोई व्यक्ति व संस्था व हिस्सेदार व भागीदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल बगैरा का होवे और उपरोक्त दुकान/आफिस/गोदाम/मल्टीप्लैक्स आदि आज तक हर प्रकार के कर्जे, बन्धक, विक्रय, ऋण व अन्य किसी भी प्रकार के भार आदि से पूर्ण रूप से साफ व भार मुक्त है। जिसका विक्रय करना वास्ते जरूरत स्वंय व मिलने उचित धनराशि के मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी को स्वीकार है जिसकी क्रेता द्वितीय पक्ष उचित व निश्चित कीमत देने को तैयार व सहमत है।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

(विक्रय का विवरण)

अतः मैं विक्रेता प्रथम पक्ष **द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता** कम्पनी के खूब सोच व समझकर बिना बहकावे व बिना किसी अनुचित दवाब के स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन बुद्धि के बिना खाये पीये किसी मादक पदार्थ के अपने सचेत होकर व विचार विमर्श किये कम्पनी के अन्य पदाधिकारियों के उपरोक्त ऑफिस का विक्रय समस्त हक व

अधिकारों के व पूर्ण स्वामित्व के साथ व विक्रीत ऑफिस की धनराशि ..../-एक करोड़ इकयानवे लाख दस हजार रुपये कि जिसकी आधी धनराशि .... /-......................... रुपये होती है। में श्री .... पुत्र श्री .... नि. .... क्रेता द्वितीय पक्ष को पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया।

(धनराशि के भुगतान का विवरण)

विक्रीत आफिस की पूर्ण धनराशि ..../-.. रुपये मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से इस प्रकार प्राप्त की कि धनराशि ..../-रुपये द्वारा एकाउण्ट पेयी चैक सं. .... दिनांक .... जोकि .... का है तथा धनराशि ..../-रुपये द्वारा एकाउण्ट पेयी चैक सं. .... दिनांक .... जोकि . ... का है तथा धनराशि ..../-रुपये द्वारा एकाउण्ट पेयी चैक सं. .... दिनांक .... जोकि .... का है, के द्वारा प्राप्त कर ली है तथा धनराशि ..../-रुपये वास्ते टीडीएस के द्वारा चालान सं. .... दिनांक .... जो क्रेता द्वारा विक्रेता प्रथम पक्ष के नाम से आयकर विभाग आगरा में विक्रेता के कहे अनुसार जमा करा दी है जो विक्रेता के द्वारा प्राप्त मानी गई है। अब मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष का विक्रीत आफिस की धनराशि में

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

क्रेता द्वितीय पक्ष से कुछ भी लेना व पाना बाकी नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

(ऑफिस के स्वामित्व अंतरण का विवरण)

विक्रीत आफिस पर कब्जा क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और उक्त आफिस का मालिक कब्जेदार व स्वामी बना दिया अब क्रेता द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह उक्त क्रय किये गए आफिस से होने मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे, स्वंय रहे या किराये पर उठावे, आवश्यकता पड़ने पर क्रय किये गये ऑफिस को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बंधक रखे आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा आदि में द्वारा विक्रय विलेख के करा लेवे जिसमें मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी को कोई एतराज व आपत्ति ना है और ना भविष्य में होगी।

(भविष्य की बाध्यता)

अगर भविष्य में कोई व्यक्ति या संस्था या हिस्सेदार या भागीदार उपरोक्त आफिस में आवे क्रेता खरीदार से दावा व झगड़ा करें या उसकी वजह से किसी को कुछ धन अदा करना पड़े या उपरोक्त आफिसका पूरा या आंशिक भाग क्रेता द्वितीय पक्ष से निकल जावे या स्वामित्व में कोई कानूनी कमी पाई जावे तो ऐसी सभी अवस्थाओं में उन सभी की जबाबदेही व जिम्मेदारी व देनदारी मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी की है और भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना धन हर्जे खर्चे व ब्याज के साथ मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी से चाहे जिस तरह से प्राप्त कर लेवे जिसमें मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी को किसी प्रकार का

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

कोई भी उज्र व एतराज ना है और ना भविष्य में होगा।

(दुकान/ऑफिस/गोदाम के नियम व शर्तों का विवरण)

1. यह कि विक्रीत सम्पत्तियों के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन या तोड़-फोड़ आदि करने का कोई अधिकार उक्त खरीदार व उसके स्थानापन्नो को प्राप्त नहीं है और ना होगा।

2. यह कि क्रेता को पूर्ण हक व अधिकार होगा कि वह उपरोक्त सम्पत्ति से बहैसियत स्वामी व अधिकारी के चाहे जिस तरह से लाभ उठावे और आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बंधक रखे आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा आदि में द्वारा विक्रय विलेख के करा लेवे इस सम्बन्ध में विक्रेता पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

3. यह कि क्रेता उक्त विक्रीत सम्पत्ति को अच्छी अवस्था में और सही मरम्मत करके रखेगा जिससे छत या फर्श या दीवारों या नालियों या पाईप या अन्य वस्तु आदि क्षतिग्रस्त न हों और जायदाद के दूसरे हिस्सों व अन्य सुविधायें आदि प्रतिकूल प्रभावित न होवे। क्रेता उक्त सम्पत्ति को इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि उक्त जायदाद के अन्य विशिष्ट इकाई धारकों व विक्रेता को कोई बाधा व एतराज न होवे और उनके हिस्सों की सम्पत्ति व अधिकारों को कोई नुकसान न पहुँचे।

4. यह कि क्रेता को यह आवश्यक होगा कि वह नगर निगम आगरा व जलकल विभाग व विधुत विभाग व अन्य सरकारी व अर्धसरकारी विभागों आदि के द्वारा बनाये गये सभी नियमों व उपबंधों व आदेशों का अनुपालन करें और यदि क्रेता के द्वारा किसी भी कानून व नियम आदि की अवहेलना किये जाने के कारण विक्रेता पर कोई जिम्मेदारी आदि आती है या विक्रेता को कोई नुकसान उठाना पड़े तो क्रेता विक्रेता की सभी क्षतिपूर्तियों का जिम्मेदार होगा।

5. यह कि यदि क्रेता या उसके स्थानापन्न इस लेखपत्र के निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन नहीं करे या कोई विपरीत कार्य करे या कोई ऐसा कार्य करे जिससे विक्रेता या उक्त जायदाद के अन्य हिस्सों के स्वामियों के अधिकारों में कोई रुकावट उत्पन्न

E-Stamp Certificate No.- IN-UP.................................

होवे तो विक्रेता को स्वंय क्रेता के कार्य व व्यवहार को रुकवाने का पूरा अधिकार होगा।

6. यह कि क्रेता के द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति पर जिस प्रकार टैक्स आदि का निर्धारण होगा उन्हें क्रेता सम्बन्धित विभाग में सीधे भुगतान करेगा और यदि पूरी जायदाद पर टैक्स निर्धारित होगा तो द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा उस अनुपात से कर सकेगा जो कि पूरी जायदाद के क्षेत्रफल व क्रेता के द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में है।

7. यह कि उपरोक्त योजना के लिए विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी द्वारा स्वंय अथवा पृथक रूप से मेन्टेनेन्स करने वाली कम्पनी अथवा सोसायटी के द्वारा सुरक्षा व सामान्य सुविधाओं के रख रखाव अथवा अन्य समस्त सुविधाओं का कार्य करेगी तथा प्रतिवर्ष जो भी शुल्क निर्धारित होगा वह क्रेता द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।

8. यह कि क्रेता उक्त सम्पत्ति को विस्फोटक पदार्थ आदि का गोदाम नहीं बना सकेगा।

9. यह कि क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा दे दिया और क्रेता को पूर्णतः मालिक कब्जेदार व स्वामी बना दिया।

10. यह कि क्रेता को अधिकार है कि वह विक्रीत सम्पत्ति के आंतरिक घनफल अर्थात दीवारों के अंदर का क्षेत्रफल व फर्श से सीलिंग तक की ऊंचाई को व्यवसायिक प्रयोग में लावे, आतंरिक साज-सज्जा आदि करे और क्रय की गई सम्पत्ति से लाभान्वित होवे और अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करा ले और उक्त योजना के निर्माणों आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पानी-बिजली-टेलीफोन आदि के कनैक्शन प्राप्त करें और उनके शुल्क आदि अदा करें और विक्रेता को उनके दायित्वों से पूर्णतः सुरक्षित रखें।

11. यह कि उक्त योजना में लिफ्ट, जीने-लौबीज-कौमन उपयोग के क्षेत्र, खुले

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

स्थान आदि उक्त योजना के सभी कॉम्पलैक्स धारकों के सामूहिक प्रयोग के लिये हैं और रहेंगे और क्रेता का इसमें कोई स्वत्व नहीं होगा।

12. यह कि उक्त योजना में अन्य इकाई व निर्माण आदि में किसी प्रकार का कोई निर्माण, परिवर्तन तोड़-फोड़ आदि नहीं करेंगे और न बाहरी रूप-रंग, साज-सज्जा आदि एवं सीवर लाइन व पाइप लाइन व जालियों आदि में कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं करेंगे।

13. यह कि क्रेता नियत स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई वाहन, कूड़ा, गंदगी, बेकार सामान आदि ना तो रख सकेंगे और ना फेंकेगे और ना छोड़ेंगे।

14. यह कि विक्रीत योजना पर बनने वाली इमारत को सुरक्षित रखने व उसके सही रखरखाव व सफाई पेन्ट आदि क्रेता को निरंतर अपने व्यय से आवश्यक रूप से कराने होंगे।

15. यह कि क्रेता उक्त योजना में ऐसी कोई वस्तु या सामग्री आदि ना तो प्रयोग करेंगे और ना रखेंगे कि जो उक्त योजना में अन्य धारकों के जानमाल के नुकसान का कारण हो और ना ही सामूहिक प्रयोग के मार्गों को व्यक्तिगत प्रयोग में लेंगे।

16. यह कि क्रेता व अन्य धारक उक्त योजना के अंतर्गत सम्पत्ति की सुरक्षा आदि के लिये संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक फायर व जनरल इंश्योरेन्स आदि कराने के लिए प्रतिबंधित हैं और रहेंगे और जिसकी प्रीमियम राशि आदि समय पर अदा करने के लिए बाध्य रहेंगें तथा अवहेलना करने पर क्रेता समस्त दण्ड व नुकसान आदि के ब्याज सहित देनदार व जिम्मेदार रहेंगे।

17. यह कि उक्त अधिनियम सन् 1975 व सामूहिक सुरक्षा के लिये उक्त शर्तों का पालन करने के लिए क्रेता व उनके उत्तराधिकारी स्थानापन्न बाध्य हैं। किसी भी शर्त आदि का पालन ना करने या उल्लंघन करने पर विक्रेता या समिति को क्रेता व उनके स्थानापन्न आदि के अवैध कार्यों आदि को रोकने व शर्तों का पालन करने के लिए व समस्त देयों का चुकाने के लिए बाध्य करने आदि का अधिकार होगा और इसमें क्रेता व उनके स्थानापन्नों आदि को कोई आपत्ति नहीं होगी।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP.................................

18. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त विक्रीत यूनिट के बाहर के एलीवेशन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व प्रथम पक्ष से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

19. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त विक्रीत यूनिट में साइन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड आदि यूनिट के साइज लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई के अनुसार ही व उसके मध्य में ही लगा सकेंगे। उक्त यूनिट के अतिरिक्त कॉम्पलैक्स में कहीं भी नहीं लगा सकेंगे।

20. यह कि कॉम्पलैक्स की सभी कॉमन सुविधाओं में जैसे पार्किंग लाईटें, नालियॉ, सीवर व अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ रद्दो बदल आदि नहीं कर सकेंगे।

21. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रीत यूनिट की पार्किंग के अतिरिक्त कॉम्पलैक्स के अन्य स्थान पर द्वितीय पक्ष को अपनी गाड़ी खड़ी करने का हक व अधिकार नहीं होगा तथा द्वितीय पक्ष को निश्चित स्थान पर केवल अपनी एक गाड़ी खड़ी करने का अधिकार होगा।

22. यह कि इस विक्रय विलेख के स्टाम्प, फीस व अन्य समस्त खर्चे क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किये गये हैं।

23. यह कि दस्तावेज हाजा की पाबंदी हर समय हम पक्षों व हमारे उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों आदि पर आवश्यक होगी।

24. यह कि विद्युत कनैक्शन/जनरेटर द्वारा विद्युत सप्लाई, जल कनैक्शन (पानी का पोइन्ट) प्रथम पक्ष द्वारा दिये जायेंगे उनका सबमीटर लगाकर के मीटर के अनुसार तथा जनरेटर का औसत के अनुसार बिल प्रथम पक्ष के अनुसार द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष उसका भुगतान प्रथम पक्ष को नियमित रूप से करेंगे।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP................................

25. यह कि भविष्य में क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय की गई यूनिट को किराये पर दिये जाने अथवा लीज करने की स्थिति में विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी से सहमति लेनी होगी।

उपरोक्त ऑफिस के आज तक के समस्त हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि के समस्त देयों की अदायगी की जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी की है और आज के बाद क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

उपरोक्त ऑफिस नजूल, राजकीय आस्थान, देवस्थान की भूमि नहीं हैं और न ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है और ना ही इसका कब्जा व दखल किसी अन्य को दिया गया है और ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया गया है। पूर्व में कोई अनुबंध आदि नहीं किया गया है।

E-Stamp Certificate No.- IN-UP..................................

कोविड–19 की गाइडलाइन हेतु पक्षकारों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप उपलब्ध है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख पढ़ने सुनने के बाद हम दोनों पक्षकारो के कथनानुसार लिख दिया तथा हम दोनों पक्षकारों की पहचान गवाहान द्वारा की गई इसलिए कि समय पर काम आवे प्रलेख तारीख 15.3.2023 व विक्रय विलेख कुलदीप शर्मा एडवोकेट सदर तहसील आगरा द्वारा तैयार किया गया।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथम पक्ष   हस्ताक्षर क्रेता द्वितीय पक्ष

गवाहः– .

गवाहः– .